आनन्द कुमार त्रिपाठी
सहायक प्रोफेसर (इतिहास)
रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम

बी० ए० (प्रतिष्ठा - इतिहास) प्रथम वर्ष
प्रश्नपत्र - I

'मौर्य प्रशासन'

मौर्य प्रशासन के अन्तर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। इसमें सत्ता का केन्द्रीकरण अवश्य हुआ था, पर राजा अपने अधिकारों के प्रति जरा सा भी बर्बर नहीं होता था। मौर्यकाल में गणराज्यों का ह्रास होने लगा था। जिसके परिणामस्वरूप राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति काफी मजबूत हो रही थी। राजा के पास समस्त अधिकार व शक्तियाँ होती थीं। मुख्यतः उसके पास सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी मामलों का पूरा अधिकार होता था। राजा साम्राज्य के सभी पदों पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करता था। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित के नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जाँचा परखा जाता था। जिसे उपधा परिक्षण कहा जाता था। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु सशस्त्र अंगरक्षिकायें होती थीं। राजा महल से बाहर युद्ध, यात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय वितरण एवं आखेट के समय निकलता था। ~~स~~ राज्य के सप्तांग सिद्धान्त — राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या कौटिल्य ने की। अर्थशास्त्र में आठवें अंग के रूप में शत्रु को भी जोड़ा गया है। कौटिल्य के अनुसार इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा है। कौटिल्य मंत्रिपरिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताता है। अर्थशास्त्र में पहली बार चक्रवर्ती शब्द का स्पष्ट उल्लेख हुआ है।

मौर्य काल में सम्राट की सहायता के लिए एक 'मंत्रिपरिषद' की व्यवस्था होती थी। इसमें 12, 16 या 20 सदस्य हुआ करते थे। इन सदस्यों को वेतन के रूप में करीब 12000 पण वार्षिक मिलता था। इस परिषद की अधिकांश बैठकें गुप्त रूप से सम्पन्न होती थीं। सम्भवतः कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। परिषद का राजा पर पूर्ण नियंत्रण था पर मंत्रिपरिषद के विषय में डायोडोरस, स्ट्रैबो एवं एरियन के विवरणों से जानकारी मिलती है।

अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में 'तीर्थ' का उल्लेख मिलता है। इन्हें महामात्र भी कहा जाता था। जिनकी संख्या 18 होती थी।

Scanned with CamScanner

1. पुरोहित, 2. मंत्री, 3. सेनापति, 4. युवराज, 5. द्वारपाल अथवा दौवारिक 6. दण्डपाल, 7. दुर्गपाल, 8. अंतपाल, 9. अन्तः पुर रक्षाधिकारी, 10. प्रशास्ता अथवा कारागार अधिकारी, 11. सन्निधाता अथवा राजकोष का अध्यक्ष, 12. समाहर्ता, 13. प्रदेष्टा अथवा कमिश्नर, 14. व्यावहारिक अथवा प्रधान न्यायाधीश, 15. पौर अथवा नगर कोतवाल, 16. मंत्रिमण्डल अध्यक्ष, 17. कर्मान्तिक या खनन एवं कारखाने का अध्यक्ष और 18. नायक या नगर का अध्यक्ष।

इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ एवं महामात्य मंत्री एवं पुरोहित होते थे। पुरोहित, महामंत्री एवं सेनापति को करीब 48000पण वार्षिक वेतन के रूप में मिलता था।

समाहर्ता – यह राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्योरा रखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना होता था। वेतन के रूप में 24000 पण वार्षिक।

सन्निधाता या कोषाध्यक्ष – यह राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। वेतन के रूप में 24000 पण वार्षिक प्राप्त होता था।

प्रदेष्टा – फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश।

कर्मान्तिक – साम्राज्य के उद्योग धन्धों का प्रमुख।

दण्डपाल – पुलिस का प्रधान।

अन्तपाल – सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक।

दुर्गपाल – देश के अन्दर दुर्गों का रक्षक।

प्रशास्ता – राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध कराने वाला।

आन्तर्वशिक – राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी।

आटविक – वन विभाग का प्रमुख अधिकारी।

सम्भवतः इन उच्चाधिकारियों को 12000 पण वेतन के रूप में मिलता था।

Scanned with CamScanner